बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल युवाओं को बल" के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम संचालित है। राज्य सरकार के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रत्येक प्रखण्ड में एक–एक प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र (BSDC) स्थापित किया गया तथा प्रखण्ड स्तरीय इन कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में खुली निविदा के माध्यम से कार्यक्रम के संचालन के लिए एजेन्सी का चयन किया गया। इस खुली निविदा के आधार पर मेसर्स नई दिशा को दो प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र (BSDC) यथा जगदीशपुर (भोजपुर) तथा घोसवरी (पटना) के संचालन का दायित्व सौंपा गया तथा उन्हें LOA निर्गत करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के साथ एक एकरारनामा हस्ताक्षरित करने तथा प्रति केन्द्र 50,000/– रूपये की राशि सुरक्षित जमा के रूप में जमा करने का निदेश दिया गया।

बिहार कौशल विकास मिशन के स्तर से निर्गत LOA के आलोक में मेसर्स नई दिशा के द्वारा प्रति केन्द्र 50,000/– रूपये की राशि सुरक्षित जमा के रूप में Bank Draft के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन में जमा किया गया तथा बिहार कौशल विकास मिशन के साथ एक एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया। हस्ताक्षरित एकरारनामा की कंडिका– III में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि " The organisation has to run the allotted BSDCs by itself and any kind of subletting or sub-contracting or Franchisee arrangement of the BSDCs or conduct of training is strictly prohibited and impermissible under any circumstances. No joint venture or consortium or association is permissible."

वर्ष 2017 के सितम्बर माह में बिहार कौशल विकास मिशन के साथ समबद्ध सभी SDC तथा BSDC के संचालक एजेंसियों से इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त किया गया कि उनके संस्था के साथ समबद्ध सभी SDC/BSDC का संचालन सीधे तौर पर उनकी एजेन्सी के द्वारा ही किया जा रहा है तथा उन्होने अपनी संस्था के साथ समबद्ध किसी भी SDC/BSDC को Franchisee mode में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं सौंपा है। मॅंगे गये इस शपथ पत्र के आलोक में मेसर्स नई दिशा के द्वारा भी बिहार कौशल विकास मिशन में एक शपथ पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वे बिहार कौशल विकास मिशन से प्राप्त सभी प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन सीधे तौर पर स्वयं कर रहे है तथा उन्होने इन सभी 2 केन्द्रों को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को Franchisee mode में नहीं सौंपा है।

माह जुलाई 2019 में श्री सतेन्द्र कुमार Director, New Concept skills Private Limited के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन में एक आवेदन–पत्र समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि माह जनवरी 2017 में कुशल युवा कार्यक्रम के BSDC के संचालन के लिए उनके द्वारा मेसर्स नई दिशा के साथ एक एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया तथा एकरारनामा में यह निश्चित हुआ कि सभी केन्द्रों पर सामान अधिष्ठापित कर इन केन्द्रों का संचालन New Concept Skills Private Limited के द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए New Concept skills Private Limited को बिहार कौशल विकास मिशन से Generated कुल Invoice Value का 75% की राशि प्राप्त होगी। आवेदन–पत्र में यह कहा गया कि इन केन्द्रों पर New Concept skills Private Limited के द्वारा मशीन आदि अधिष्ठापित करने के पश्चात् इन केन्द्रों का संचालन जुलाई 2017 से शुरू कर दिया गया। आवेदन–पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि मूल एजेन्सी के द्वारा उन्हें प्रारंभ से ही राशि ठीक ढंग से प्राप्त नहीं हुई तथा हरबार अगली बार का बहाना किया जाता रहा, जिसके कारण अधिकांश कर्मचारियों का पारिश्रमिक बाकी है। आवेदन–पत्र में यह कहा गया कि सभी केन्द्रों पर New Concept skills Private Limited के द्वारा अधिष्ठापित मशीनें यथावत है। साक्ष्य स्वरूप श्री सतेन्द्र कुमार, Director, New Concept skills Private Limited के द्वारा मेसर्स नई दिशा के साथ हस्ताक्षरित एक एकरारनामा की प्रति उपलब्ध करायी गयी। मेसर्स नई दिशा तथा New Concept skills Private Limited के बीच हस्ताक्षरित एकरारनामा के अवलोकन से यह विदित हुआ कि यह एकरारनामा दिनांक–01 जनवरी 2017 को दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित हुआ तथा यह एकरारनामा राज्य में BSDM के Project को क्रियान्वित करने के लिए किया गया। हस्ताक्षरित एकरारनामा के

अनुसार सभी केन्द्रों पर कम्प्यूटर तथा अन्य आवश्यक उपस्करों का अधिष्ठापन Support Partner को करना है जिसके एवज में उन्हे बिहार कौशल विकास मिशन से प्राप्त होने वाली राशि का 75% राशि प्राप्त होगा।

श्री सतेन्द्र कुमार Director New Concept skills Private Limited से प्राप्त आवेदन–पत्र तथा एकरारनामा के प्रति के आलोक में मेसर्स नई दिशा से पत्र संख्या–823 दिनांक–17.07.2019 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में नई दिशा के द्वारा ई–मेल के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने किसी भी Third Party के साथ अपनी संस्था के साथ समबद्ध BSDC के संचालन के लिए कोई एकरारनामा नहीं किया है तथा उनके द्वारा अपने केन्द्रों को सीधे संचालित किया जा रहा है जहाँ कार्यरत सभी कर्मी उनके Payroll पर है तथा बिहार कौशल विकास मिशन में आवेदन देकर किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा उनके एजेन्सी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है।

नई दिशा से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नही है। अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा यह कहना की उन्होंने इस तरह का कोई एकरारनामा हस्ताक्षरित नही किया है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। आवेदक के आवेदन–पत्र के साथ संलग्न एकरारनामा में सचिव, नई दिशा का हस्ताक्षर तथा मुँहर है लेकिन वे इस बिन्दु पर यह स्थापित करने में असफल रहे है कि परिवादी के द्वारा दिया गया एकरारनामा उनके संस्था के सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित नही है। इस हस्ताक्षरित एकरारनामा में बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा संचालित परियोजनाओं को New Concept skills Private Limited के माध्यम से संचालित किये जाने का उल्लेख है तथा इसके एवज में बिहार कौशल विकास मिशन से प्राप्त राशि का 75% Revenue के रूप में भुगतान किये जाने का भी उल्लेख है।

स्पष्ट है कि मेसर्स नई दिशा के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध की कंडिका– III की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अपनी संस्था के साथ समबद्ध प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को Franchisee mode में संचालन हेतु Revenue Sharing के आधार पर किसी अन्य एजेन्सी को सौंप दिया गया है तथा बिहार कौशल विकास मिशन में यह गलत शपथ पत्र दिया गया है कि वे अपनी संस्था के लिए आवंटित केन्द्रों को सीधे तौर पर स्वयं चला रहे है तथा उन्होने इन केन्द्रों को Franchisee mode में किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को Revenue Sharing के आधार पर नहीं सौंपा है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मेसर्स नई दिशा से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है। उनके द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध की कंडिका– III का उलंघन करने तथा बिहार कौशल विकास मिशन में गलत शपथ पत्र देने के प्रमाणित आरोपों के लिए इनके साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा को रद्ध किया जाता है तथा एजेन्सी के द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा की राशि को जब्त किया जाता है। साथ ही एजेन्सी को बिहार कौशल विकास मिशन के साथ अगले तीन वर्षों तक कार्य करने तथा बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक :– बी0एस0डी0एम0/एस0डी0एम0–48/2019– 116 पटना,दिनांक – 29/01/2020

प्रतिलिपीः– 1. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. Project Director, MKCL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उन्हे निदेश दिया जाता है कि वे मेसर्स नई दिशा के साथ समबद्ध सभी केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को तत्काल प्रभाव से अवरूद्ध कर दे तथा समबद्ध केन्द्रों के पंजीकरण को रद्ध करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

3. मिशन प्रबन्धक, वित्त एवं लेखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे नई दिशा के द्वारा सभी केन्द्रों के लिए जमा किये गये सुरक्षित जमा की राशि को जब्त करना सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी निदेश दिया जाता है कि वे नई दिशा के किसी भी भुगतान के पूर्व बकाये विद्युत विपत्र तथा Wallet के Debit की स्थिति की जॉच कर ले तत्पश्चात ही किसी भी प्रकार की भुगतान की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

241

4..Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. प्रशासी पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन /मिशन प्रबन्धक(कार्यक्रम क्रियान्वयन)/मिशन प्रबन्धक(समन्वय)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. सभी जिला नियोजन पदाधिकारी–सह–जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी, कौशल विकास / सभी जिला कौशल प्रबन्धक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. मेसर्स नई दिशा/New Concept skills Private Limited को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/01/2020

(धर्मेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन।